[2023] 11 एस**.** सी**.** आर **232:2023** आई**.** एन**.** एस**.** सी**. 695**

मुकदमों का विवरण

देव गुप्ता

बनाम

पी. ई. सी. प्रौद्योगिकी और ओ. आर. एस. विश्वविद्यालय। (2023 की सिविल अपील संख्या 5013)

अगस्त 09,2023

[एस**.** रवींद्र भाट और अरविंद कुमार**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःउच्च न्यायालय का आदेश अपीलार्थी की रिट याचिका को खारिज करता है जिसमें एक उम्मीदवार को 2 प्रतिशत खेल कोटे के तहत इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए पात्रता शर्त (योग्यता परीक्षा में) के रूप में न्यूनतम 75 प्रतिशत कुल अंकों को लागू करने पर सवाल उठाया गया था।

शिक्षा संस्थान**-**खेल कोटा**-**एक उम्मीदवार को **2** प्रतिशत खेल कोटे के तहत इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए पात्रता शर्त **(**योग्यता परीक्षा में**)** के रूप में न्यूनतम **75** प्रतिशत कुल अंकों का अधिरोपण**-**भेदभावपूर्ण या नहींः

पकड़नाःखेल कोटा शुरू करने का उद्देश्य उन लोगों को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना था जिन्होंने प्रतिस्पर्धी खेलों में कुछ हद तक निर्धारित प्रवीणता और उपलब्धि हासिल की-खेल कोटा शुरू करने का उद्देश्य, हालांकि, शैक्षणिक योग्यता को समायोजित करना नहीं है, बल्कि कुछ अलग हैःसंस्थान, विश्वविद्यालय और अंततः देश में खेलों को बढ़ावा देना-तत्काल मामले में, रिकॉर्ड इंगित करता है कि शैक्षणिक वर्षों 2018-19,2019-20 और 2023-24 को छोड़कर, पिछले सभी वर्षों के लिए, निर्धारित पात्रता कम थी; वास्तव में, 2020-21,2021-22 और 2022-23 के लिए, मानदंड "10+2 पास" था-अंत में, खेल नीति, स्वयं इस बात को रेखांकित करती है कि कोटा उन छात्रों के लिए उपलब्ध होगा जो "चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों से अपनी योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं" या पिछले दो वर्षों से चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं-इसलिए न्यूनतम 75 प्रतिशत पात्रता शर्त लागू करना, खेल कोटा शुरू करने के उद्देश्य को कम नहीं करता है।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स

देव गुप्ता बनाम पी. ई. सी. प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

और ओआरएस।

इसका; मानदंड, उस अर्थ में उद्देश्य को विकृत करता है और भेदभावपूर्ण है; इसलिए, यह संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता खंड का उल्लंघन करता है-इसलिए, याची और अन्य उम्मीदवारों का बहिष्कार, योग्यता परीक्षा में 75 प्रतिशत से कम प्राप्त करने के आधार पर, अनुचित और भेदभावपूर्ण था।[पैरा 17 और 18]

शिक्षा संस्थान-खेल कोटा-योग्यता परीक्षा में **75** प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने के कारण अयोग्यता के आधार पर उम्मीदवारी को अस्वीकार करना-निर्देश जारी किया गयाः

पकड़नाःसत्रह (17) सीटें खेल श्रेणी (2 प्रतिशत कोटे के तहत) के लिए निर्धारित की गई थीं-विश्वविद्यालय को कुल 34 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 28 आवेदक 75 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं-इसके अलावा, खेल श्रेणी में कुल 17 सीटों में से 16 सीटें योग्य उम्मीदवारों को आवंटित की गईं और केवल 1 सीट खाली थी-इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए, शेष सीटों या सीटों को चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की खेल नीति में उल्लिखित मानकों को लागू करने के लिए निर्देश जारी किया गया, जैसा कि प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन किए गए उम्मीदवारों की अंतर-खेल योग्यता निर्धारित करने के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन जिनकी उम्मीदवारी 75 प्रतिशत से कम प्राप्त करने के कारण अयोग्यता के आधार पर खारिज कर दी गई थी।[पैरा 4 और 19]

संवैधानिक कानून-संवैधानिक न्यायशास्त्र-समानता और वर्गीकरण के सिद्धांत-पर चर्चा की गई।

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

मनीष कुमार बनाम भारत संघ (यूओआई) और अन्य [2021] 14 एससीआर 895; आशुतोष गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य [2002] 2 एससीआर 649; वेंकटेश्वर थिएटर बनाम एपी राज्य [1993] 3 एससीआर 616; रूप चंद अदलखा बनाम दिल्ली

विकास प्राधिकरण [1988] पूरक 3 एस. सी. आर. 353-पर निर्भर था।

जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा [1974] 1 एससीआर 771; दीपक सिब्बल बनाम पंजाब विश्वविद्यालय [1989] 1 एससीआर 689; सुब्रमण्यम स्वामी बनाम केंद्रीय

जाँच ब्यूरो [2014] 9 एस. सी. आर. 283-संदर्भित।

234 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

जगतप्रीत कौर और अन्य बनाम पंजाब विश्वविद्यालय (2004) 138 पी. एल. आर.

896 – संदर्भित किया गया।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील No.5013

2023.

2023 के सी. डब्ल्यू. पी. No.14594 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री नताशा डालमिया, सुश्री अनीशा जैन, शिवम पुंधीर, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

संचार आनंद, देवेंद्र सिंह, अनंत के वात्स्या, अमन कुमार ठाकुर, अर्जुन राणा, सुश्री सुम्बुल औसाफ, वत्सल जोशी, कृष्ण कांत दुबे, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

एस. रवींद्र भट्ट, न्याय०

1. विशेष अवकाश दिया गया।यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देती है।1 उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एक उम्मीदवार को 2 प्रतिशत खेल कोटे के तहत इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए पात्रता शर्त (योग्यता परीक्षा में) के रूप में न्यूनतम 75 प्रतिशत कुल अंकों को लागू करने पर सवाल उठाया गया था।अपीलार्थी ने तर्क दिया था कि इस तरह की पात्रता शर्त के अचानक लागू होने से कोटा का उद्देश्य ही विफल हो गया और परिणामस्वरूप यह मनमाना था।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अधिकारियों को एक मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता थी।

2. तकनीकी शिक्षा सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन (इसके बाद "यूटीसी") ने दिनांक 07.01.2016 के पत्र द्वारा प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय (इसके बाद "विश्वविद्यालय") को 2016-2017 (इसके बाद "जोसा" के रूप में संदर्भित) से राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय परामर्श प्रणाली के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देने की मंजूरी दी।केंद्र शासित प्रदेश ने लगातार इसका पालन किया था

1 2023 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 14594 में दिनांकित 14.07.2023।

देव गुप्ता बनाम पी. ई. सी. प्रौद्योगिकी और ओ. आर. एस विश्वविद्यालय। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

चंडीगढ़ के भीतर की प्रक्रिया और संस्थानों में प्रवेश इसके नियमों द्वारा विनियमित किए जाते थे। जे. ओ. एस. एस. ए. के लिए वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के नियम 07.06.2023 पर एक विवरणिका के माध्यम से जारी किए गए थे।वे नियम केंद्र शासित प्रदेश के संस्थानों पर लागू होते हैं, जिसमें प्रतिवादी भी शामिल है-जिसका नाम क्रम संख्या 25 में उल्लेख किया गया है।

3. इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रदान की गई पात्रता मानदंड और वही नीचे दिया गया हैः

“1. बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त किए होने चाहिए।एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए कुल अंक कम से कम 65 प्रतिशत होने चाहिए।’’

प्रत्यर्थी ने चार आरक्षित श्रेणियों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश विवरणिका जारी की।खेल उम्मीदवारों के लिए लागू पात्रता मानदंड का उल्लेख खंड 1 (बी) में किया गया था जिसे नीचे निकाला गया हैः

“बी। उम्मीदवार ने संबंधित स्ट्रीम और बोर्ड की बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।”

4. सत्रह (17) सीटें खेल श्रेणी (2 प्रतिशत कोटे के तहत) के लिए निर्धारित की गई थीं। विश्वविद्यालय को कुल 34 आवेदन प्राप्त हुए-जिनमें से 28 आवेदक 75 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।शेष छह आवेदनों में अपीलार्थी के आवेदन शामिल थे जिन्होंने मूल 75 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किए थे।इसके अलावा, खेल श्रेणी की कुल 17 सीटों में से 16 सीटें पहले ही योग्य उम्मीदवारों को आवंटित की जा चुकी हैं और सामग्री और धातुकर्म इंजीनियरिंग शाखा में आज की तारीख तक केवल 1 सीट खाली हुई है, जिसके लिए 10.08.2023 पर परामर्श आयोजित किया जाना है।यह स्वीकार किया जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए लागू खेल नीति पहले प्रकाशित की गई थी।

5. विवरणिका में कई श्रेणियों को सूचीबद्ध किया गया है, ताकि यह इंगित किया जा सके कि प्रवेश के उद्देश्यों के लिए उम्मीदवारों को कैसे वर्गीकृत किया जाना था।इसमें खेल कोटा के उम्मीदवार शामिल नहीं थे।वास्तव में, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने प्रवेश के उद्देश्यों के लिए जोसा का पालन किया; हालाँकि, खेल कोटा श्रेणी को जोसा कार्यक्रम से बाहर रखा गया था। इसी तरह तीन अन्य श्रेणियों यानी कश्मीरी प्रवासियों, बेटों/बेटियों/सैन्य/अर्धसैनिक कर्मियों के जीवनसाथी और स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पोते-पोतियों के लिए अलग से कोटा निर्धारित किया गया था।

6. 24.06.2023 पर विवरणिका के प्रकाशन के बाद, प्रत्यर्थी ने एक विज्ञापन जारी कर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन करने का आह्वान किया।अपीलार्थी ने अधिकारियों के समक्ष शिकायत की कि 27.06.2023 पर पात्रता की शर्त अवास्तविक रूप से अधिक थी।कोई जवाब नहीं मिलने पर, उन्होंने एक रिट याचिका का नेतृत्व किया, जिसे विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एस. पटवालिया द्वारा यह तर्क दिया गया है कि 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की न्यूनतम पात्र शर्त खेल कोटा प्रदान करने के उद्देश्य को विफल कर देती है क्योंकि यह मानता है कि अन्य सामान्य उम्मीदवारों की तरह

खिलाड़ियों के पास भी शैक्षणिक उत्कृष्टता की डिग्री होगी जो सभी उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है।यह प्रस्तुत किया गया था कि खेलों में भाग लेने वालों के साथ अलग व्यवहार किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए 2 प्रतिशत कोटा विशेष रूप से तैयार किया गया था।इस संदर्भ में, यह बताया गया है कि जहां तक खेल कोटा उम्मीदवारों का संबंध है, विवरणिका स्वयं एक अंतर बताती है क्योंकि ऐसे उम्मीदवार जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण के लिए आवेदन करने के योग्य हैं; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) को पात्र माने जाने के लिए 65 प्रतिशत अंक होने चाहिए।यह प्रस्तुत किया गया था कि अतीत में भी, केंद्र शासित प्रदेश ने परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए खेल कोटे में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवारों के लिए उच्च मानदंड नहीं लगाया था।

8. विद्वान अधिवक्ता यह भी बताया कि अतीत में, खेल कोटा दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया था कि अंतर-श्रेणी निर्धारण के उद्देश्य से किन विशिष्ट खेलों को वर्गीकृत किया जाएगा और इसके अलावा, आयोजनों के प्रकार, और पात्रता और मूल्यांकन मानदंड (जैसे कि संबंधित खेलों में प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या, भागीदारी का स्तर, यानी संबंधित नियामक बोर्ड या संगठन/महासंघ, आदि द्वारा आयोजित जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम) का मार्गदर्शन करने वाली शर्तें।ये खेल उम्मीदवारों की अंतर-श्रेणी रैंकिंग के निर्धारण दोनों का मार्गदर्शन और विनियमन करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग शैक्षणिक योग्यता के बजाय संबंधित खेलों में उच्च प्रवीणता प्राप्त करते हैं, उन्हें विधिवत समायोजित किया जाए।9. प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए श्री संचार आनंद ने इस न्यायालय से हस्तक्षेप नहीं करने का आग्रह किया और कहा कि स्वीकारोक्ति लगभग पूरी हो चुकी है।उन्होंने बताया कि इससे पहले भी, केंद्र शासित प्रदेश ने योग्यता परीक्षा में 75 प्रतिशत न्यूनतम कट-ऑफ के प्रासंगिक मानदंड पर जोर दिया था और खेल कोटे के लिए 75 प्रतिशत न्यूनतम मानदंड को उचित ठहराते हुए उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किए गए एक नोट की ओर इशारा किया था।यह तर्क दिया गया कि जबकि 2017-18 के लिए, खेल श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता अंक 60 प्रतिशत, 237 थे

इसे वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया।इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि इस तरह के मानदंड के आग्रह में स्वाभाविक रूप से मनमाना या भेदभावपूर्ण कुछ भी नहीं है।उन्होंने दोहराया कि वर्तमान मामले में भी प्राप्त 34 आवेदनों में से 28 75 प्रतिशत की सीमा को पूरा करते हैं और एक (17 में से) को छोड़कर सभी सीटों पर उनके द्वारा चुनाव किया गया था।

10. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि खेल कोटे में आवंटन के उद्देश्यों के लिए एक न्यूनतम सीमा शैक्षिक योग्यता को विकसित करना अनिवार्य रूप से एक नीतिगत मामला था जिसे केंद्र शासित प्रदेश ने वर्तमान मामले में वैध रूप से प्रयोग किया।उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप आज तक किए गए आवंटन में बड़े पैमाने पर व्यवधान

होगा और हस्तक्षेप करना व्यर्थ होगा क्योंकि कई अन्य उम्मीदवार जिन्होंने आवेदन नहीं किया होगा और जो अपीलार्थी से बेहतर हो सकते हैं, उन्हें विचार से बाहर रखा जाएगा।

विश्लेषण और निष्कर्ष

11. विवरणिका के अलावा, जिसके प्रासंगिक उद्धरण प्रासंगिक प्रस्तुतियों पर चर्चा करने से पहले निर्धारित किए गए थे, प्रचलित खेल कोटे (नीति 2 में सन्निहित) के प्रासंगिक प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक है।नीति के पैरा 2 में कहा गया है कि इस खेल श्रेणी का लाभ

यह उन लोगों के लिए उपलब्ध होगा जो "चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों से अपनी योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और जिन्होंने स्नातक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम दो साल तक चंडीगढ़ के स्कूलों या कॉलेजों में अध्ययन किया है।"नीति ने आगे निर्धारित किया

प्रमाणपत्रों की योग्यता, अर्थात खेल प्रमाणपत्रों को ए, बी, सी और डी के रूप में और अवरोही क्रम में उचित रूप से वर्गीकृत किया जाएगा।ग्रेड ए में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल होते हैं, जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया या जिन्होंने ओलंपिक खेलों, विश्व कप, टूर्नामेंट और उच्चतम स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महासंघों द्वारा आयोजित चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।ग्रेड बी में ऐसे खिलाड़ी शामिल होते हैं, जिन्होंने विश्व विश्वविद्यालय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और ग्रेड ए के अलावा अन्य खेलों में भाग लिया, जिसमें एशियाई फेडरेशन कप सहित कम से कम 10 टीमों ने भाग लिया; स्कूल गेम्स या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैंपियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप, राज्य महासंघ, अखिल भारतीय संयुक्त विश्वविद्यालय टीम आदि में पहले तीन स्थान प्राप्त किए। वरिष्ठ नागरिकों/अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं/महासंघों में ग्रेड सी सूचीबद्ध भागीदारी

2 दिनांकित 05.05.2003 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा जारी किया गया।

कप; जूनियर नेशनल फेडरेशन अर्थात राष्ट्रीय विद्यालय खेल, राष्ट्रीय विद्यालय खेल में भाग लेने वाली केवीएस टीमें; मान्यता प्राप्त चंडीगढ़ विद्यालय खेल में पहले तीन स्थान (बशर्ते कम से कम 7 टीमों ने भाग लिया हो) और ऐसी कई अन्य खेल प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों में भाग लें।ग्रेड डी ने मान्यता प्राप्त जूनियर चैंपियनशिप में वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप/राष्ट्रीय खेलों में भागीदारी; राष्ट्रीय विद्यालय खेलों में भागीदारी आदि को सूचीबद्ध किया।

12. नीति में आगे यह प्रावधान किया गया है कि संबंधित संस्थान द्वारा राज्य रैंकिंग पर विचार किया जाएगा और मानदंडों को निम्नलिखित क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगाःकिसी भी प्रतियोगिता

में रिकॉर्ड धारक; विजेता; उपविजेता; तीसरा स्थान धारक; भाग लेने की संख्या; भाग लेने वाले विषयों की संख्या)।अन्य मानदंड भी लिखे गए थे।

नीति के अनुसार, खेल श्रेणीकरण में उप-कनिष्ठ श्रेणी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों को शामिल नहीं किया गया है और यह कि राज्य/वरिष्ठ/कनिष्ठ/अंतर-महाविद्यालय प्रतियोगिता या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं आदि में सात या उससे अधिक प्रतिभागियों के साथ या राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम दस राज्य विश्वविद्यालयों, यानी वरिष्ठ, कनिष्ठ और सभी विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में सात या उससे अधिक प्रतिभागियों के साथ हासिल किए जाने पर ही प्राप्त किए गए स्थान होंगे।इसके अलावा, नीति में यह निर्धारित किया गया था कि आवेदकों का साक्षात्कार लिया जाएगा और उन्हें इस विषय में अन्य परीक्षण भी दिए जाएंगे

संबंधित, "उन प्रशंसापत्रों/प्रमाण पत्रों की वास्तविकता का आकलन करना जो वे अपने दावों के समर्थन में प्रस्तुत करते हैं।"

13. वर्तमान मामले में 75 प्रतिशत न्यूनतम योग्यता मानदंड को उचित ठहराते हुए उस नोट को पुनः प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा जिसे चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अनुमोदित उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था।केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की शर्तों के आधार पर प्रत्यर्थी की प्रवेश नीति से निपटने के लिए, नोट में अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार कहा गया हैः

" पी. ई. सी. वर्ष 2017 तक संयुक्त प्रवेश समिति (जे. ए. सी.) चंडीगढ़ में भाग ले रहा था। सामान्य और खेल श्रेणी के लिए जे. ए. सी. 2017 की पात्रता मानदंड समान था यानी 12 वीं कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक।तैयार संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न करें।

कश्मीर घाटी में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों और कश्मीरी पंडितों/कश्मीरी हिंदू परिवारों (गैर-प्रवासी), खिलाड़ियों, बेटों/बेटियों/सैन्य/अर्धसैनिक कर्मियों के जीवनसाथी, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों/पोते-पोतियों के लिए पी. ई. सी. द्वारा पालन किए जाने वाले पात्रता मानदंड इस प्रकार हैंः

देव गुप्ता बनाम पी. ई. सी. प्रौद्योगिकी और ओ. आर. एस विश्वविद्यालय। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

प्रवेश का वर्ष	के माध्यम से प्रवेश	प्रवेश एजेंसी द्वारा स्थापित 10+2 के लिए प्रासंगिक मानदंड	पी. ई. सी. द्वारा अनुसरण किए जाने वाले 10+2 के प्रासंगिक मानदंड	टिप्पणियां
2017-18	जे. ए. सी. चंडीगढ़	> 60%	> 60%	प्रवेश एजेंसी के समान
2018-19	जोसा/सी. एस. ए. बी.	> 75%	> 75%	प्रवेश एजेंसी के समान

2019-20	जोसा/सी. एस. ए. बी.	> 75%	> 75%	प्रवेश एजेंसी के समान
2020-21	जोसा/सी. एस. ए. बी.	10+2 पास करें।	10+2 पास करें।	प्रवेश एजेंसी के समान
2021-22	जोसा/सी. एस. ए. बी.	10+2 पास करें।	10+2 पास करें।	प्रवेश एजेंसी के समान
2022-23	जोसा/सी. एस. ए. बी.	10+2 पास करें।	10+2 पास करें।	प्रवेश एजेंसी के समान
2023-24	जोसा/सी. एस. ए. बी.	> 75%	>75%	प्रवेश एजेंसी के समान

प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है और कश्मीरी घाटी में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों और कश्मीरी पंडितों/कश्मीरी हिंदू परिवारों (गैर-प्रवासी), खिलाड़ियों, बेटों/बेटियों/सैन्य/अर्धसैनिक कर्मियों के जीवनसाथी, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों/पोते-पोतियों की परामर्श के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.07.2023 थी और आगे की प्रक्रिया जारी है।कि तत्काल रिट याचिका केवल 13.07.2023 पर प्रारंभिक सुनवाई के लिए आ रही है, जब प्रवेश प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और इस प्रकार, याचिका पर रोक लगा दी गई है।कि विवरण पत्रिका पवित्र है और इस स्तर पर, यदि मानदंड बदल दिए जाते हैं, तो पूरी प्रवेश प्रक्रिया में देरी हो जाएगी और पटरी से उतर जाएगी।

शैक्षणिक सत्र 31.07.2023 से शुरू होने वाला है और उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत व्याख्यानों में भाग लेना होगा।"

14. अब यह हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र में निहित है कि समानता के सिद्धांत के विभिन्न और स्तरित आयाम हैं, जिनमें से एक 240 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर. है।

कि अनुच्छेद 14 के तहत, "समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। असमानताओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।उचित वर्गीकरण क्या है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों, कानून द्वारा प्रदान किए गए संदर्भ, बोधगम्य भिन्नता के अस्तित्व पर निर्भर करना चाहिए, जिसके कारण व्यक्तियों या चीजों को एक वर्ग के रूप में समूहीकृत किया गया है और उन लोगों को बाहर रखा गया है जो बोधगम्य भिन्नता को साझा नहीं करते हैं।इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे प्राप्त करने के उद्देश्यों के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।" (रेफरी मनीष कुमार बनाम भारत संघ (यूओआई) और अन्य 3)।

15. इस न्यायालय ने आशुतोष गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य 4 में समझाया

उचित वर्गीकरण कैसे लागू किया जाएः

“6. कानून के समक्ष समानता की अवधारणा में सभी के बीच पूर्ण समानता का विचार शामिल नहीं है, जो एक भौतिक असंभवता हो सकती है।अनुच्छेद 14 केवल उपचार की समानता की गारंटी देता है, न कि समान उपचार की।समान कानूनों के संरक्षण का मतलब यह नहीं है कि सभी कानून समान होने चाहिए।कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि समान लोगों के बीच कानून समान होना चाहिए और समान रूप से प्रशासित होना चाहिए और समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।कानून के समक्ष समानता का मतलब यह नहीं है कि जो चीजें अलग-अलग हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा जैसे वे समान हों।यह सच है कि अनुच्छेद 14 में आदेश दिया गया है कि समान रूप से स्थित लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन कितनी असमानता लोगों को समान रूप से व्यवहार करने के लिए अयोग्य बनाएगी, यह एक परेशान करने वाला सवाल है।एक विधायिका, जिसे अनंत प्रकार के मानव संबंधों से उत्पन्न होने वाली विविध समस्याओं से निपटना होता है, के पास विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष कानून बनाने की शक्ति होनी चाहिए और उस उद्देश्य के लिए उसके पास व्यक्तियों और चीजों के चयन या वर्गीकरण की बड़ी शक्तियां होनी चाहिए जिन पर ऐसे कानून काम करते हैं।केवल भेदभाव या व्यवहार की असमानता समान संरक्षण खंड के निषेध के भीतर भेदभाव के बराबर नहीं है।राज्य के पास हमेशा उस विशेष विषय के लिए प्रासंगिक तर्कसंगत भेद के आधार पर वर्गीकरण करने की शक्ति है जिससे निपटा जाना है।अनुमेय वर्गीकरण की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, (i) वर्गीकरण को एक बोधगम्य अंतर पर आधारित किया जाना चाहिए जो व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है।

3 2021 (14) एससीआर 895 4 2002 (2) एससीआर 649 241

देव गुप्ता बनाम पी. ई. सी. प्रौद्योगिकी और ओ. आर. एस विश्वविद्यालय। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

जिन्हें समूह से बाहर रखे गए अन्य लोगों से एक साथ समूहीकृत किया जाता है, और (ii) उस अंतर का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। आवश्यक बात यह है कि वर्गीकरण के आधार और अधिनियम के उद्देश्य के बीच एक संबंध होना चाहिए। जब किसी कानून को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जाती है, तो सबसे पहले क़ानून में अंतर्निहित नीति और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य का पता लगाना आवश्यक है।नीति और अधिनियम के उद्देश्य का पता लगाने के बाद, न्यायालय को वैधता की जांच करने के लिए एक दोहरी परीक्षा लागू करनी होती है, परीक्षण यह है कि क्या वर्गीकरण तर्कसंगत है और एक बोधगम्य अंतर पर आधारित है जो व्यक्तियों या चीजों को समूह से अलग करता है जो समूह से बाहर हैं, और क्या भेदभाव के आधार का इसकी घोषित नीति और उद्देश्यों के साथ कोई तर्कसंगत संबंध या संबंध है।इस अनुच्छेद के तहत किसी कानून को निरस्त करने के लिए, असमानता एक ही विधान के तहत या कानूनों के एक ही समूह के तहत उत्पन्न होनी चाहिए, जिन्हें एक साथ एक अधिनियम के रूप में माना जाना चाहिए।एक ही विषय

के संबंध में दो अलग-अलग प्राधिकरणों द्वारा किए गए दो अलग-अलग अधिनियमों के परिणामस्वरूप असमानता अनुच्छेद 14 के तहत हमले के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा 5 में यह भी कहा गया है कि "हासिल किया जाने वाला उद्देश्य" केवल असमानताओं को अंधाधुंध रूप से थोपने का ढोंग नहीं होना चाहिए और वर्गीकरण को "मनमाना या बेतुका" नहीं माना जाना चाहिए।वेंकटेश्वर थिएटर बनाम ए. पी. 6 राज्य में निर्णय एक निर्णय है जहाँ यह

न्यायालय ने बताया कि कैसे भेदभाव उत्पन्न होता है, अगर गैर-समान व्यक्तियों को समान माना जाता है, तो इस प्रकारः

“जिस तरह समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ व्यवहार में अंतर भेदभाव की ओर ले जाता है, उसी तरह भेदभाव भी उत्पन्न हो सकता है यदि असमान व्यक्तियों, यानी अलग स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ भी समान व्यवहार किया जाए।... असमान वस्तुओं, लेन-देन या व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार का प्रावधान करने वाले कानून की भेदभावपूर्ण के रूप में निंदा की जाएगी यदि कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध का अभाव है।”

5 5 1974 (1) एस. सी. आर. 771 6 1993 (3) एस. सी. आर. 616 242 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

16. रूप चंद अदलखा बनाम दिल्ली विकास में टिप्पणियाँ

प्राधिकरण 7 बहुत बोधगम्य हैं, और वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक हैं; न्यायालय

उन्होंने कहा था कि वर्गीकरण की प्रक्रिया अपने आप में असमानता की उत्पादक है और इस मायने में समानता के विरोधी है।यह प्रक्रिया संवैधानिक रूप से वैध होगी यदि यह पहले से मौजूद असमानता को मान्यता देती है और ऐसी पहले से मौजूद असमानता के प्रभाव को कम करने में सहायता करती है।लेकिन प्रक्रिया अपने आप में नहीं हो सकती है।

असमानता पैदा करें या बढ़ाएं "और चेतावनी दी कि इस पर अधिक जोर दिया जाए

वर्गीकरण का सिद्धांत "या वर्गीकरण के लिए कुछ आधार खोजने का कोई भी चिंतित और निरंतर प्रयास धीरे-धीरे और अस्पष्ट रूप से लेख को इसकी बहुमूल्य सामग्री से वंचित कर सकता है और वर्गीकरण के सिद्धांत द्वारा समानता के सिद्धांत को बदलने में समाप्त हो सकता है" इस प्रकार वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए "समानता की बहुमूल्य गारंटी" को केवल रेत की रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।” का आवेदन

दीपक सिब्बल बनाम पंजाब विश्वविद्यालय 8 में उचित वर्गीकरण परीक्षण ने एक ऐसे नियम को अमान्य कर दिया जिसने निजी प्रतिष्ठानों के अयोग्य कर्मचारियों को अयोग्य घोषित कर दिया और सरकारी विभागों और संस्थानों में उम्मीदवारों के प्रवेश को शाम के विधि महाविद्यालय में

सीमित कर दिया।वर्गीकरण की निंदा करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय "से विचलित हो गया था

शाम की कक्षाओं की शुरुआत के लिए उद्देश्य।इसका उद्देश्य शाम की कक्षाओं में निजी कर्मचारियों सहित सामान्य रूप से कर्मचारियों को समायोजित करना था जो अपने रोजगार के कारण सुबह की कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ थे।"

विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया औचित्य, कि सरकारी कर्मचारियों के पास स्थायी नौकरी या पद था, शाम के कानून पाठ्यक्रम को खोलने के उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक माना गया था।

17. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 9 मामले में यह न्यायालय

सार्वजनिक रोजगार में स्थिति के आधार पर एक वर्गीकरण, जो यह दर्शाता है कि यह अंतर्निहित कानून के उद्देश्य को पराजित करता है, को अस्वीकार कर दिया गया और अमान्य घोषित कर दिया गया।i. भ्रष्टाचार का मुकाबला करनाः

"59. हमें ऐसा लगता है कि सरकारी सेवा में स्थिति के आधार पर धारा 6-ए में किया गया वर्गीकरण अनुच्छेद 14 के तहत अनुज्ञेय नहीं है क्योंकि यह भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रथम दृष्टया सच्चाई को उजागर करने के उद्देश्य को विफल कर देता है, जो पीसी अधिनियम, 1988 के तहत अपराध है।क्या भ्रष्ट लोक सेवकों के बीच उनकी स्थिति के आधार पर ठोस अंतर हो सकता है?निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि उनकी स्थिति या स्थिति चाहे जो भी हो,

7 1988 उदाहरण के लिए (3) एससीआर 353 8 1989 (1) एससीआर 689 9 2014 (9) एससीआर 283 243

देव गुप्ता बनाम पी. ई. सी. प्रौद्योगिकी और ओ. आर. एस विश्वविद्यालय। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

भ्रष्ट लोक सेवक लोक शक्ति के भ्रष्ट करने वाले होते हैं।भ्रष्ट लोक सेवक, चाहे वे उच्च हों या निम्न, एक ही पंख के पक्षी हैं और उन्हें जांच और जांच की प्रक्रिया का समान रूप से सामना करना चाहिए।सेवा में पद या स्थिति के आधार पर, लोक सेवकों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है जिनके खिलाफ पी. सी. अधिनियम, 1988 के तहत आरोप हैं।"

ऊपर उल्लिखित सिद्धांतों के वस्तुनिष्ठ अनुप्रयोग पर, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि खेल कोटा यानी प्रवेश का 2 प्रतिशत शुरू करने का उद्देश्य उन लोगों को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना था जिन्होंने प्रतिस्पर्धी खेलों में एक निश्चित स्तर की निर्धारित प्रवीणता और उपलब्धि हासिल की।इस कोटे की शुरुआत शैक्षणिक संस्थानों में खेल और खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक निश्चित न्यूनतम पात्रता मानक या मानदंडों के सेट को निर्धारित करने के अपने अधिकारों के भीतर कार्य करता है।इस प्रकार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जगतप्रीत कौर और अन्य में योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 15 प्रतिशत प्राप्त करने के कट ऑफ पात्रता मानक के प्रिस्क्रिप्शन को बरकरार रखा।

बनाम पंजाब विश्वविद्यालय 10:"याची ने स्वयं कहा है कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए विवरण पत्रिका में विशेष रूप से प्रावधान किया गया था कि कुल 15 अंकों की न्यूनतम कट-ऑफ होगी।उत्तरदाताओं-विश्वविद्यालय ने केवल ऐसे मानदंड पेश किए हैं जो न्यूनतम शैक्षणिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करते हैं जो एक ऐसे छात्र के लिए आवश्यक होगा जो अंततः एक इंजीनियर बनना चाहता है।अमरदीप सिंह सहोता के मामले (ऊपर) में पूर्ण पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये ऐसे छात्र हैं जो अंततः मानवता की सेवा करेंगे।खेल में उत्कृष्टता एक प्रासंगिक विचार हो सकता है, लेकिन एक निश्चित न्यूनतम शैक्षणिक मानक बनाए रखने की आवश्यकता है।"

हालाँकि, खेल कोटा शुरू करने का उद्देश्य शैक्षणिक योग्यता को समायोजित करना नहीं है, बल्कि कुछ पूरी तरह से अलग हैःसंस्थान, विश्वविद्यालय और अंततः देश में खेलों को बढ़ावा देना।अन्य में, विश्वविद्यालय नर्सरी या खिलाड़ियों के लिए जलग्रहण क्षेत्र हैं, जो राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।साथ ही, राज्य या शैक्षणिक संस्थान कर सकते हैं

10 (2004) 138 पीएलआर 896 244

न्यूनतम पात्रता शर्त पर जोर दें।इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी शर्त आवश्यक रूप से और अनिवार्य रूप से सामान्य (या खुली श्रेणी) उम्मीदवारों के लिए लागू होनी चाहिए।बाद के प्रकार के मानदंड होंगे

मेधावी खिलाड़ियों को बाहर कर देते हैं, और कम (शैक्षणिक रूप से) रखते हैं।

मेधावी खिलाड़ी, एक नुकसानदेह स्थिति में, क्योंकि वे खुली श्रेणी के उम्मीदवारों की उच्च शैक्षणिक योग्यता के मानदंड को पूरा करते हैं।उदाहरण के लिए, यह बहुत संभव है कि एक खिलाड़ी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया है और जारी है, और जिसने कुश्ती में एक या दो पदक जीते हैं, उसे योग्यता परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले एक ही श्रेणी (लेकिन जो कभी राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंचा है) के पहलवान की संभावना में पूरी तरह से बाहर रखा जाएगा।यह ठीक यही परिणाम है जिसे इस अदालत ने चेतावनी दी थी कि एक समान मानन्यायालय का "असमान अनुप्रयोग" होगा, एक लकड़ी की समानता जो अंतर्निहित भिन्नताओं को ध्यान में रखे बिना होगी, जिसे अनुच्छेद 14 नापसंद करता है और मना करता है।

18. अदालत द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का इस तथ्य से भी समर्थन होता है कि 2023 की प्रवेश को नियंत्रित करने वाली खेल नीति को विस्तार से ध्यान से देखते हुए विकसित किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खेल में प्रदर्शन, शैक्षणिक योग्यता के बजाय, 2 प्रतिशत खेल कोटे को लागू करने के लिए चुना गया मानन्यायालय था।एक अन्य कारण जो इस

अदालत को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करता है कि भेदभाव हुआ है, क्योंकि खेलों के संबंध में भी, राज्य ने अनुच्छेद 15 (4) के तहत ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण का आनंद लेने वालों के लिए मानन्यायालय को कम कर दिया है।इस तरह की स्थिति में, राज्य के लिए यह खुला था कि वह अन्य उम्मीदवारों के लिए भी खेल कोटे के लिए पात्रता मानदंड को कम करे; इसलिए व्यवहार में असमानता गंभीर है।इसके अलावा, रिकॉर्ड इंगित करता है कि शैक्षणिक वर्षों 2018-19,2019-20 और 2023-24 को छोड़कर, पिछले सभी वर्षों के लिए निर्धारित पात्रता कम थी; वास्तव में, 2020-21,2021-22 और 2022-23 के लिए, मानदंड "10+2 पास" था।अंत में, खेल नीति स्वयं इस बात को रेखांकित करती है कि कोटा छात्रों के लिए उपलब्ध होगा

जो मान्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों से अपनी योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं।

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा "या पिछले दो वर्षों से चंडीगढ़ में अध्ययन किया था।सभी उम्मीदवारों से संबंधित विषयों में उत्तीर्ण होने के लिए 2023 की खेल नीति में निर्धारित एक निश्चित पात्रता मानक (जिसका उल्लेख किया गया है) या संबंधित बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता अंकों को पूरा करने की आवश्यकता एक समान मानक के प्रिस्क्रिप्शन से पूरी तरह से अलग है, जो ऐसी न्यूनतम सीमा से बहुत अधिक है।अतः न्यूनतम 75 प्रतिशत पात्रता शर्त लागू करना 245 नहीं है।

देव गुप्ता बनाम पी. ई. सी. प्रौद्योगिकी और ओ. आर. एस विश्वविद्यालय। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

खेल कोटा लागू करने के उद्देश्य को कम करता है, लेकिन यह इसके लिए विनाशकारी है; मानदंड, उस अर्थ में उद्देश्य को विकृत करता है और भेदभावपूर्ण है; इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता खंड के खिलाफ आता है।19. उपरोक्त कारणों से, यह माना जाता है कि योग्यता परीक्षा में 75 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने के आधार पर याची और अन्य उम्मीदवारों का बहिष्कार अनुचित और भेदभावपूर्ण था।इस तरह के मानदंड को प्रभावी बनाने वाले खंडों के संदर्भ और समावेश को अप्रवर्तनीय और अमान्य माना जाता है।यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि एक सीट को छोड़कर सभी सीटों पर प्रवेश के लिए आवंटन पूरा कर लिया गया है।इस अदालत के अंतरिम आदेश, दिनांक 08.08.2023 द्वारा, प्रत्यर्थी को बची हुई सीट (सीटों) को भरने से रोक दिया गया था, जिसे 10.08.2023 पर निर्धारित अंतिम दौर (प्रवेश प्रक्रिया) के बाद भरने के लिए कहा गया था।फाइंडिंग्स को ध्यान में रखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि शेष सीट या सीटों को चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की खेल नीति में उल्लिखित मानकों को लागू करके चुना जाएगा, जैसा कि प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा उन उम्मीदवारों की अंतर-खेल योग्यता निर्धारित करने के लिए लागू किया गया था, जिन्होंने आवेदन किया था, लेकिन जिनकी उम्मीदवारी योग्यता परीक्षा में 75 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने के कारण अयोग्यता के आधार पर खारिज कर दी गई थी।हालाँकि इन उम्मीदवारों को तुरंत पिछले शैक्षणिक वर्ष के मानदंड के संदर्भ में अर्हता प्राप्त होनी चाहिए, जो शेष खेल कोटा सीटों (सीटों) के लिए लागू होती है।साथ ही, जिन उम्मीदवारों का चयन किया गया है और उन्हें प्रवेश दिया

गया है, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा।खेल कोटे में शेष खाली सीटों को भरने की प्रक्रिया दो सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएगी।इस निर्णय में जो कुछ भी कहा गया है, उसके परिणामस्वरूप अन्य (गैर-खेल) श्रेणियों में उम्मीदवारों के प्रवेश को अमान्य कर दिया जाएगा।

20. परिणामी रूप से, विवादित आदेश को अपास्त करना दिया जाता है।उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है।इन परिस्थितियों में, लागत पर कोई आदेश नहीं होगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान